रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 180] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1973/श्रावण 13, 1895

No. 180] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1973/SRAVANA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th August 1973

SUBJECT.—*Licensing conditions relating to import from Canada of equipment and/or machinery and/or services under Canadian Development Lines of Credit dated July 16, 1971 for C $ 10 million.*

No. 125-ITC(PN)/73.—Attention is invited to late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 146-ITC(PN)/71, dated the 28th October, 1971 as amended by Ministry of Commerce Public Notice No. 40-ITC(PN)/73, dated the 22nd March, 1973 on the subject mentioned above.

2. The terminal drawal date of the Canadian Development Line of Credit has been further extended upto 30th June, 1974. It has been decided that import licences under this credit will be issued with an initial validity of four months or upto 31st May, 1974, whichever is earlier.

3. Para 1.1 of Annexure to late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 146-ITC(PN)/71, dated the 28th October, 1971 may be deemed to have been amended accordingly. Other conditions of the Public Notice remain unchanged.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1973

विषय :—कनाडा 1 करोड़ डालर के लिए क्रेडिट दिनांक 16 जुलाई, 1971 की कनाडा विकास लाइन के अन्तर्गत कनाडा से उपस्कर और / या मशीन और/या सेवाओं के आयात से सम्बन्धित लाइसेंस शर्तें ।

संख्या : 125—आई०टी०सी० (पी०एन०)/73.—उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना 40—आई०टी०सी० (पी०एन०)/73 दिनांक 22 मार्च, 1973 द्वारा तथा संशोधित पूर्वगत विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 146—आई० टी० सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 28 अक्तूबर, 1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. क्रेडिट की कनाडा विकास लाइन की अन्तिम आहरण तिथि को 30 जून, 1974 तक और आगे बढ़ाया गया है । यह निश्चय किया गया है कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत आयात लाइसेंस चार मास की प्रारम्भिक बैंध अवधि के लिए या 31 मई, 1974 तक—इनमें जो भी पहले हो, उस तक जारी किए जाएंगे ।

3. पूर्वगत विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 146—आई० टी० सी० (पी० एन)/71 दिनांक 28 अक्तूबर, 1971 के अनुबन्ध 1.1 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए । सार्वजनिक सूचना की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

SUBJECT.—*Licensing conditions for the UK/India Capital Investment Loan, 1973 dated 24th May, 1973.*

No. 126-ITC(PN)/73.—The terms and conditions governing the issuance of import licences against the UK/India Capital Investment Loan 1973 dated 24th May, 1973 as given in the Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

Licensing conditions for the UK/India Capital Investment Loan, 1973 dated 24th May, 1973.

I. *General conditions*

1. The import licence will bear the superscription "UK/India Capital Investment Loan, 1973". In addition to the licence number and the licence code with 'R/KK' as suffixes, it should bear the allocation number in the manner detailed in paragraph 3, and these allocations will relate to one of the segments below:

'A' Segment—(£5.5 *million private sector segment*)

Where the licence is issued in favour of a private Sector unit on the basis of clearance accorded by the Capital Goods Committee.

'B' Segment—(£5.5. *million public sector segment*)

Where the licence is issued on the basis of sanction issued by the Administrative Ministry after obtaining clearance of foreign exchange accorded by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II Section) New Delhi, in favour of public sector units or departmental undertakings of Central or State Government.

'C' Segment—For NSIC—NIL.

'D' Segment—(£ 1.5 million I.F.C.I. Segment)

Where the licence is issued to development projects financed by the I.F.C.I. on the basis of clearance of foreign exchange accorded by I.F.C.I.

'E' Segment—(£ 1.5 million I.C.I.C.I. segment)

Where the licence is issued to development projects financed by the I.C.I.C.I. on the basis of clearance of foreign exchange accorded by I.C.I.C.I.

2. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should furnish to the Department of Economic Affairs (WE II Section) a photostat copy of the import licence. A copy of this should also be sent to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Jeewan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi.

3. *Identification Suffix.*—Each allocation under the "UK/India Capital Investment Loan 1973" will bear an identification suffix—the symbol 'CIL' indicating the loan; followed by a letter showing the segment of the loan ('A' for the private sector segment; 'B' for the public sector segment 'D' for the I.F.C.I. Segment and 'E' for the I.C.I.C.I Segment); followed by a number indicating the year; in which the allocation is made, and followed by an allocation number, for example.

CIL/A/73/14(GOI).

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocation.

In case of allocations made with the prior approval of the UK Government or in the case of I.F.C.I. and ICICI., the symbol (GOI) will not appear in the identification suffix.

One Allocation-Multiple licences.—As there may be more than one licence against any allocation, the licensing authorities will ensure at the time of issue of the import licence that each licence pertaining to an allocation will bear a further identification mark, for example,

CIL/A/73/14(GOI)-I

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocation-Serial number of licence.

CIL/A/73/14(GOI)-2 etc.

One licence-Multiple contracts.—As there may be more than one purchase order/contract against an import licence, it is the responsibility of the licensee to ensure that each order under an import licence is given a further identification mark (1), (2) etc. *e.g.*

CIL/A/73/14(GOI)-1(1)

i.e. Loan/Segment/Year/Serial number of allocation-serial number of import licence against the allocation serial number of order against the import licence.

CIL/A/73/14(GOI)-1(2) etc. etc.

Similarly for orders against the second licence against this allocation:

CIL/A/73/14(GOI)-2(1)

CIL/A/73/14(GOI)-2(2) etc. etc.

4. *Mode of Payment.*—payments to the suppliers can be arranged through normal banking channel by establishing letters of credit, but a special authorisation for doing so should be obtained from the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi in the manner detailed in Section IV below. Any payment towards Indian Agent's Commission should be made in Indian Rupees to the Agents in India. Such payments however will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

5. *Validity period.*—The licence will be issued with an initial validity period of 12 months. Firm orders of CIF or C&F basis must be placed within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within first four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing

authority within the four months' period or immediately thereafter, giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period of ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), New Delhi wherever necessary.

6. *Placement of Orders.*—It should be noted that unless ordering is complete within four months or the extended period allowed by the licensing authority, and the special authorisation (as indicated in paragraph 4 above) is obtained, the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credit.

7. *Basis of Orders—Cash.*—Orders should be placed on cash basis and all payments must be completed within a month of the expiry of the licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facilities of any kind will be permitted.

II. *Special points to be incorporated in the orders/contracts or otherwise kept in view*

1. While placing orders/contracts which must be placed only on the suppliers in the U.K. (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly or mainly produced or manufactured in the U.K. When the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein, that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K.

2. *Responsibility of the importer to ensure minimum U K. Content.*—It should be particularly noted that the U.K. supplier/contractor will have to sign a contract certificate as provided in Section III below, indicating the non-UK content if any, of the goods to be supplied or in the case of chemicals and allied products declare them to be of U.K. Origin. If the non-UK element is likely to exceed 20 per cent of the f.o.b. value of the contract, it should be brought to the notice of the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi and firm commitment should be entered into only if the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance agree.

3. The documentation requirements mentioned in Sections III and V below and the payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III. *Notification of contracts and amendments thereto*

1. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward three copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by two copies of the Contract Certificate in the form attached as Annexure II or Annexure I(B) (as is appropriate) duly signed by the supplier, to the Controller of Aid Accounts Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

2. While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the credit are clearly noted in the documents. The licensee must give the identification suffix in each of the contracts against an import licence. For example, if the identification suffix of the import licence is CIL/A/73/14(GOI)-1, the identification number for the first contract under this licence should be CIL/A/73/14 (GOI)-1(1), for the second contract against this licence, it should be CIL/A/73/14 (GOI)-1(2), etc. and the licensee while forwarding the contracts to the Ministry of Finance must give the relevant details of the number of contracts placed under the relevant import licence to date. The importer will be solely responsible for the accuracy of these details.

3. If at any time a contract is amended or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should within a fortnight of the date of the amendment of the contract, forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contracts and the revised "Contract Certificate" to the Ministry of Finance in order to enable them to notify the same to the U.K. Government.

4. If, in any case, the contract is with the Indian Agent of the UK supplier, it should indicate the name of the UK supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract which alone will qualify for payment under the loan. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with UK suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. *Payment to UK suppliers—letter of credit procedure*

1. The licensee should apply to the Controller of Aid Accounts (Economic Aid Accounts Branch), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi for a *letter of authorisation* to any of the Exchange Bank in India for opening a letter of credit in favour of the UK suppliers with one of the correspondent banks in the United Kingdom.

2. The request for the letter of authorisation should be in the form given in Annexure III and should be accompanied by a copy of the firm order and a contract certificate completed by the United Kingdom supplier, the letter to be in the form set out at Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate).

3. If the application is found to be in order, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue an authorisation for the requisite amount to the importer and the Indian Exchange Bank concerned. The authorisation order of the Ministry of Finance will also refer to the identification suffix of the purchase order e.g. CIL/A/73/14(GOI)-I(1). The identification suffix should also figure in the letter of credit to be opened and in all the documents to be furnished under the letter of credit. The Ministry of Finance will also advise the UK Bank concerned. The advice to the UK Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned along with their copy of the authorisation letter who should transmit it to the UK Bank while opening the letter of credit.

4. The letter of credit should be opened within a month from the date of issue of the authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the authorisation will lapse. The letter of credit should detail the conditions to which the licence is subject, should provide for payments to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below, should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the condition that the correspondent banks in UK would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement thereafter from the bank in India on which the letter of credit was opened. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

5. The letter of credit should be clearly marked with the loan title allocation number and other particulars viz. serial number of import licence under the given allocation and the serial number of the contract pertaining to the import licence etc. etc. as indicated in the letter of authorisation.

V. *Documentation*

1. The importer is responsible to see that the UK supplier completes and submits the documents detailed below to the UK Bank at the time of claiming payment for the goods supplied:—

(i) The original invoice with four photo copies or copies by any other process. The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (C&F or CIF) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.

(ii) One copy (or photostat) of Ocean or charter-party bill of landing or airway bill or parcel post receipt. (The Bill of Landing shall indicate the carrier's statement of charges in whatever currency it is paid).

(iii) Four copies of the payment certificate in the form given in Annexure IV (not required in respect of contracts for which contract certificate (Chemicals) in the form given in Annexure II(E) has been provided). For the purpose five bank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

(iv) Three copies of the contract certificate prescribed in Annexure II or Annexure II(B).

Each document must show the loan title, identification suffix, details of import licence, and the particulars of the letter of credit authorisation issued by the Ministry of Finance.

2. While opening letter of credit, the authorised Exchange Bank in India will on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the letter of credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the UK suppliers.

3. After the payment is made to the supplier, the correspondent bank in the UK will send by air mail the original negotiable set of documents to the Indian Bank concerned. The Indian Bank will reimburse the UK Bank by remittance the payments made by it to the UK suppliers, along with the Bank charges. The recovery of corresponding rupee equivalent by the Indian Bank from the importer for such foreign exchange remittances will be as per arrangements agreed to between them. The U.K. Bank should also send a non-negotiable copy of the completed payment certificate to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

VI. *Indian Bank's responsibility to enable the Government of India to obtain reimbursement under the U.K. Loan*

After reimbursing the UK Bank of the sterling payments made by it to the U.K. suppliers along with the bank charges, the Indian Bank should within the next 10 days send the necessary documents to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi to enable the Government of India to obtain the necessary reimbursement under the U.K. Loan. The documents to be furnished are:—

(i) *Contract certificate* in the form of Annexure II or Annexure II(B) (as is appropriate) duly signed by the U.K. supplier, and a copy of the relevant letter of credit.

(ii) *Payment Certificate* in the form given in Annexure IV duly signed by the U.K. supplier.

(iii) The invoice and Bills of Landing as mentioned in Section V. Where there is more than one payment to be made to the UK supplier under a contract, the Contract Certificate and a copy of the letter of credit need to be supplied only for first payment and for the subsequent payments only the payment certificate and invoices need to be send to the Ministry of Finance, but the identification suffix in the relevant contract certificate and the letter of credit should be quoted.

VII. *Reports on the utilisation of the Import Licence*

A monthly report, in the form attached as Annexure V showing the utilisation status of the licence, should be furnished on or before the 7th of each month to (i) the Controller of Aid Accounts (Economic Aid Accounts Branch), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi. (ii) Shri Srinivasan (S.O. WE II), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, North Block, Secretariat, New Delhi and (iii) to the Ministry of Industrial Development, Capital Goods Committee Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

Where the release of foreign exchange has been made by the IFCI and ICICI, the report should be furnished to the respective organisations concerned.

VIII. *Miscellaneous*

1. *Notifying Suppliers of Special Conditions.*—The licence should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

2. *Refund from UK Suppliers.*—If any refunds are received by the licensee from the supplier, the shipper or the insurer, a full report showing the amount received together with other relevant particulars, should be sent to the Ministry of Finance

at the address indicated in Section VI above, as and when such refunds are received The report regarding refunds should be as in the proforma in Annexure VI.

3. *Disputes.*—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers or any liabilities as such between the licensee and suppliers;

4. *Further Instructions.*—The licensee should promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

5. *Breach or Violation.*—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Import and Export (Control) Act.

IX. *List of Annexures by title*

Annexure I—Notification of Contract.

Annexure II—Contract Certificate.

AnnexureII(B)—Contract Certificate (Chemicals).

Annexure III—Form of Application for Letter of Credit Authorisation.

Annexure IV—Payment Certificate.

Annexure V—Monthly Report on Ordering and Utilisation of Import Licence.

Annexure VI—Report on refunds received.

ANNEXURE I

NOTIFICATION OF CONTRACT

UK/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1973

To

The Crown Agents

Notification of Contract No.

The following are details of the contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above loan.

1. Name and Address of United Kingdom Contractor.
2. Date of Contract.
3. Name of Purchaser.
4. Short description of goods. and/or works or services.
5. Value of Contract.
6. Terms of payment.

Signature of the authorised officer of the importing firm.

ANNEXURE II

UK/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1973

CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of Contract

Indian Import Licence No..... Identification Suffix No.....

1. Date of Contract..... 2. Contract No.....

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....

.....

(If a number items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate)

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) £.....

If goods are to be supplied the following sections must be completed—(If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer).

5. Estimated per cent of the FOB value of the goods *not* originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor direct from abroad, *i.e.* per cent of imported raw material or components used in manufacture.

(a) per cent FOB value.....

(b) Description of items and brief specification.....

6. If any raw material or components used originated from abroad, *e.g.* copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc. but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify:—

(a) per cent FOB value.....

(b) Description of items and brief specification.....

If Services are to be supplied the following section should also be completed—

7. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by—

(a) Your firm (site engineers charges, etc.).....

(b) Local contractor.....

8. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 5, 6, or 7 above.....
.....

9. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the contractor other than those specified in paragraphs 5, 6, 7 and 8 above.

Signed.....

Position hold.....

Name and address of Contractor.....

Date.....

NOTE.—For the purpose of this declaration the U.K. includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE II(B)

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1973

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUTS ONLY

1. Date of Contract.....Contract No..... Indian Import Licence No..... Date..... Identification Suffix No. .....

2.	Description of Product(s) to be Supplied to Purchaser (Note A)	£ Price	UK Tariff Classification No. (Note B)	Is the product of UK Origin (see note C) State 'Yes' Or 'No'

3. Total (estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling £.....

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the U.K. by the contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct

Signed.....
Position held.....
Name & address of contractor.....

Date..... .....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapters 16, 25, 28—35 and 37—40 of the UK Tariff.

B. See: (i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO.

C. (i) A product is regarded as of 'UK origin' if made either wholly from indigenous UK materials OR according to the appropriate 'EFTA' qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the EFTA Compendium for the Use of Exporters' HMSO.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the "alternative percentage criterion" DOES NOT APPLY.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean 'UK Origin' only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA Compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Crown Agents, CS4 department, 4 Mill bank, London SW 1.

D. For the purpose of this declaration, the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation

To

The Controller of Aid Accounts,
(Economic Aid Accounts Branch)
Ministry of Economic Affairs,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
10, Parliament Street, New Delhi.

SUBJECT.—*Import of.....from U.K. under UK/India Capital Investment Loan* 1973.

Sir,

In connection with the import of.....from U.K. against the above UK Loan, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you:—

1. (a) Particulars of Import Licence
No. & date..... Value (Rs.).....Date upto which valid

(b) The Allocation No. as given in the import licence.

(c) No. of contracts placed under the import licence so far.

(d) The serial number of the contract to which this application relates.

2. Sterling value of licence (Calculated at £ 1 per Rs. 18.968)

3. Sterling value of the order placed for which authorisation is required specifying the name and address of the UK supplier/suppliers and the amount(s) of authorisations required separately against each supplier (copy of orders placed and UK Suppliers' acceptance thereof to be attached).

4. Name of the Indian Bank which will open Letter of Credit.

5. Name of UK correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

Yours faithfully,

Signature of the Licensee and full address.

ANNEXURE IV

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1973

PAYMENT CERTIFICATE

Indian Import Licence No.....

Identification Suffix No. .....

I hereby certify that:

(i) the payment referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No. ..... dated..... between the contractor named below and..... (purchaser)..... .....,and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on .....

Contractort's invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods works and/or Services

(ii) The amount specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 5, 6 or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the contractor named below.

Signed.....

Position held.....

For and on behalf of.....

Name and address of Contractor.....

Date.....

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE V

Form of Utilisation Report in respect of

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN 1973.

(to be furnished separately in respect of each import licence)

(Where there are more than one contract against an import licence, the information should be given in respect of each contract, separately).

Identification suffix.....

(see Section I—para 2)

1. Name & address of the importer
2. Import Licence No. & date, and the value thereof.
3. Date and value of orders placed against the above import licence.
4. Whede orders have not been placed for the full value of the import licence indicate the phasing of balance order.
5. Confirmation whether the contract documents have been/are being sent to the Controller of Aid Accounts Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi in accordance

with the relevant stipulation in the licensing conditions [No. & date of communication(s) quoted].

6. Details with value of letter(s) of credit opened in favour of the UK supplier(s).

7. *Phasing of Payment (in £s and Rs.)*

A. *Actual payment made to UK suppliers*

(i) April 73 to September 73

(ii) October 73 to March 74

(iii)

(iv)

(and so on)

B. *Estimates of payments to be made to UK suppliers.*

(i) April 74 to September 74.

(ii) October 74 to March 75

(iii) April 75 to September 75

(iv) October 75 to March 76
(and so on)

8. Indicate specifically the portion of the import licence not covered by the orders and thus surrendered.

Signature.....

ANNEXURE VI

Report showing details of refunds received from Supplier/Shippers/Insurers (towards settlement of claims for short landings, damages etc.) in respect of imports from the UK under UK/India Capital Investment Loan 1973.

(only for claims settled in £ sterling)

1. Name of importing firm

2. Particulars of UK Credit

3. No. and Date of import licence

4. Value of Import licence.

5. Amount of refund received

6. Nature of refund (give brief details)

7. Reference to the relative documents under which payment was made initially to the UK Suppliers (indicate name of India Bank and reference to their letter No. & date, forwarding the documents to the Ministry of Finance).

8. Whether or not refunds received are to be utilised for replacement of goods, if not confirm that amount has been actually received and encashed into rupees.

9. Remarks.

Signature of the authorised officer of the importing firm.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973, दिनांक 24–5–73 के लिए लाइसेंस शर्तें ।

संख्या : 126—**आई०टी०सी० (पीएन)/73**.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973, दिनांक 24–5–73 के मद्दे लाइसेंसों के जारी किए जाने के सम्बन्ध में जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है सूचनार्थ अधिसूचित की जाती है ।"

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973, दिनांक 24–5–73 के लिए लाइसेंस शर्तें ।

1. **सामान्य शर्तें** :

आयात लाइसेंस का शीर्षक "यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973 " होगा । लाइसेंस संख्या और प्रत्ययों के रूप में 'आर/के के' के साथ लाइसेंस कोड के अतिरिक्त, इसमें कंडिका 3 में दिए गए विवरणों के रूप में नियतन संख्या होनी चाहिए और ये नियतन नीचे के किसी एक सिग्मेंट से सम्बन्धित होंगे :—

"ए" सिग्मेंट—(55 लाख पौंड निजी क्षेत्र सिग्मेंट)

जहां लाइसेंस पूंजीगत माल समिति द्वारा प्रदान की गई निकासी के आधार पर निजी क्षेत्र एककों को जारी किया जाता है ।

"बी" सिग्मेंट—(55 लाख पौंड सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट)

जहां वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र एककों या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागीय प्रक्रमों के नाम में प्रदान किए गए विदेशी मुद्रा की निकासी प्राप्त करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमोदन के आधार पर लाइसेंस जारी किया जाता है ।

"सी" सिग्मेंट—(एन एस आई सी के लिए —शून्य)

"डी" सिग्मेंट—(15 लाख पौंड आई०एफ० सी० आई० सिग्मेंट)

जहां आई०एफ०सी० आई० द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की निकासी के आधार पर विकास परियोजनाओं को आई० एफ० सी० आई० द्वारा वित्तयुक्त किया गया लाइसेंस जारी किया जाता है ।

"ई" सिग्मेंट—(15 लाख पौंड आई० सी० आई० सी० आई० सिग्मेंट)

जहां आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा की निकासी के आधार पर विकास परियोजनाओं को आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा वित्तयुक्त किया गया लाइसेंस जारी किया जाता है ।

2. आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस की एक फोटोस्टेट प्रति आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–2 अनुभाग) को भेजे । इसकी एक प्रति सहायता लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिए ।

3. **परिचय प्रत्यय** : यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973 के अन्तर्गत प्रत्येक नियतन में परिचय प्रत्यय भी आई एल प्रतीक होगा जिसमें ऋण का संकेत होगा और उसमें एक पत्र लगा रहेगा जो ऋण के सिग्मेंट को प्रदर्शित करेगा (निजी क्षेत्र सिग्मेंट के लिए 'ए', सार्वजनिक क्षेत्र सिग्मेंट के लिए 'बी' आई० एफ०सी०आई० सिग्मेंट के लिए 'डी' और 'आई०सी०आई०सी० आई० सिग्मेंट के लिए 'ई') जिस वर्ष में नियतन किया जाता है उसका संकेत करते हुए संख्या दी जाएगी : और उसमें नियतन संख्या होगी, उदाहरण के लिए ।

सीआईएल / ए/ 73/14 (जीओआई)

अर्थात् ऋण / सिग्मेंट / वर्ष / नियतन की क्रम संख्या ।

यू० के० सरकार की पूर्व अनुमति से किए गए नियतन के मामले में या आई०एफ०सी० आई० तथा आई०सी०आई०सी०आई० के मामले में प्रतीक (जीओआई) परिचय प्रत्यय में नहीं रहेगा ।

एक नियतन—बहुविधि लाइसेंस : चूंकि प्रत्येक नियतन के मद्दे एक से अधिक लाइसेंस हो सकता है, आयात लाइसेंस जारी करते समय लाइसेंस प्राधिकारी यह सुनिश्चय करेंगे कि नियतन से सम्बन्धित प्रत्येक में एक और परिचय चिह्न होगा, उदाहरण के लिए

सी आई एल/ए/73 (जीओआई)—1

अर्थात् ऋण/सिग्मेंट/वर्ष/नियतन की क्रम संख्या—लाइसेंस की क्रम संख्या :

सीआईएल/ए/73/14 (जीओ आई)—2.

एक लाइसेंस बहुविधि संविदाएं : चूंकि एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक खरीद आदेश/संविदा हो सकती है, लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह सुनिश्चय करें कि आयात लाइसेंस के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश में एक और परिचय चिह्न (1), (2) आदि दिया जाता है, यानी,

सीआईएल/ए/73/14 (जीओआई)—1 (1)

अर्थात् ऋण/सिग्मेंट/वर्ष/नियतन की क्रम संख्या—नियतन के मद्दे आयात लाइसेंस की क्रम संख्या (आयात लाइसेंस के मद्दे आदेश की संख्या)

सीआईएल/ए/73/14 (जीओआई)—1(2) आदि आदि, इसी तरह, इस नियतन के मद्दे द्वितीय लाइसेंस के मद्दे आदेश के लिए :—

सीआईएल/ए/73/14 (जीओआई)—2(1)

सीआईएल/ए/73/14 (जीओआई)—2(2) आदि आदि ।

4. **भुगतान की विधि**:—साख-पत्र की स्थापना पाकर सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से संभरकों को भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन नीचे के खंड—4 में दिए गए ब्योरे के अनुसार **स प्रकार के आदेश दिए जाने के लिए एक विशेष प्राधिकरण सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए** । भारतीय अभिकर्त्ता के किसी कमीशन के लिए भुगतान भारत स्थित अभिकर्त्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । लेकिन, इस प्रकार के भुगतान लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे, और ये, इसलिए, लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे ।

5. **वैध अवधि** :—लाइसेंस 12 महीने की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा। फर्म आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने के चार माह की अवधि के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिए। यदि आदेश वैध कारणों से प्रथम चार महीने के भीतर नहीं दिए जा सकते, लाइसेंस को लाइसेंस प्राधिकारी के पास चार माह की अवधि के भीतर या उसके तत्काल बाद जमा कर देना चाहिए। इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देर क्यों हुई और यह भी संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि जरूरी हो, उसे भी बता देना चाहिए। जहां जरूरत होगी, इस प्रकार के आवेदन-पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा वित्त मंत्रालय, (अर्थकार्य विभाग) के साथ परामर्श करके पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा।

6. **आदेश दिया जाना** :—इसे नोट कर लेना चाहिए कि जब तक चार माह के भीत आदेश देने का काम पूरा नहीं कर लिया गया या प्राधिकारी री द्वारा स्वीकृत बढ़ाई गई अवधि और विशेष प्राधिकरण (उपर्युक्त कंडिका 4 में संकेत किए गए के अनुसार) प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना करने की स्वीकृति नहीं देंगे।

7. **आदेश देने के आधार** —कैश : आदेश नकद के आधार पर दिए जाने चाहिए और भी भुगतान लाइसेंस की समाप्ति के एक माह के भीतर पूरे किए जाने चाहिए। अकेले भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान हो जाने पर अवश्य की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की साख सुविधा नहीं दी जाएगी।

2. आदेशों / संविदाओं में शामिल की जाने वाली या अन्यथा रूप से ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :

1. जब फर्म आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि यू० के० संभरकों को ही दी जानी चाहिए (जिसकी अभिव्यक्ति में चैनल आफ आइलैंड तथा आइल आफ मैन भी शामिल है), लाइसेंसधारी को उस में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू० के० में उत्पादित अथवा निर्मित हैं या होंगे। जब इस प्रकार के माल खरीदने से सम्बन्धित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू० के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है, उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी।

2. **न्यूनतम यू० के० वस्तु का सुनिश्चय करने की आयातकों की जिम्मेदारी** : यह विशेष रूप से नोट कर लेना चाहिए कि यू० के० संभरक संविदाकर्त्ता को संभरण किए जाने वाले गैर यू० के० माल का यदि कोई हो तो, उसका संकेत करते हुए या रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के मामले में उनके यू० के० मूल के होने का संकेत करते हुए नीचे के खंड–3 में दी गई व्यवस्था के अनुसार संविदा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यदि गैर यू०के० माल को संविदा के जहाज पर्यन्त निःशुल्क के 20 प्रतिशत से ज्यादा होने की संभावना है, इसकी सूचना सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को दी जानी चाहिए और पक्की संविदा केवल तभी की जानी चाहिए जब अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय सहमत हो जाता है।

3. नीचे के खंड 3 और 5 में उल्लिखित प्रलेखन आवश्यकताओं को तथा नीचे के खंड 4 में निर्धारित भुगतान की प्रक्रिया को ध्यान में रखना जाना चाहिए तथा संविदा में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

3. संविदा की अधिसूचना तथा तत्सम्बन्धी संशोधन

1. आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की तीन प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध 1 के रूप में) संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (संलग्न अनुबन्ध–2 अथवा 2 (बी) के रूप में, जो भी उपयुक्त हो) की दो प्रतियां के साथ सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय , अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

2. वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या तथा तारीख और ऋण का नाम भली-भांति लिख दिया गया है । लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस के मद्दे प्रत्येक संविदा में परिचय प्रत्यक्ष अवश्य दे देना चाहिए ।

उदाहरण के लिए––यदि आयात लाइसेंस का परिचय प्रत्यक्षसी आई एल /ए/73/14 (जीओआई)–1 है, तो इस लाइसेंस के अन्तर्गत पहली संविदा के लिए परिचय प्रत्यय सी आईएल ए/ 73/14 (जी/ओ आई)––1(1) होना चाहिए, इस लाइसेंस के मद्दे दूसरी संविदा के लिए सीआईएल/ ए/73/14 (जी/ओ/आई)–1(2) आदि होना चाहिए तथा जब लाइसेंसधारी वित्त मंत्रालय को संविदाएं अग्रसारित कर रहा हो तो तत्सम्बन्धी उद्यतन लाइसेंस के अन्तर्गत दी गई संविदाओं की संख्या के तत्सम्बन्धी ब्यौरे अवश्य दिए जाने चाहिए । इन ब्यौरों की शुद्धता के लिए आयातक ही एक मात्र रूप से जिम्मेदार होगा ।

3. किसी समय संविदा में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि से ज्यादा धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निर्हित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्सम्बन्धी अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों को संविधा के लिए संशोधित प्रतियों को तथा संशोधित "संविदा-प्रमाण-पत्र" को वित्त मंत्रालय को भेज दे ताकि वे इसकी सूचना यू० के० सरकार को दे सकें ।

4. किसी मामले में, यू० के० संभरक के भारतीय अभिकर्त्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० संभरक के नाम का संकेत होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा । ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियां जो यू०के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई हैं, यदि इस प्रकार की पृथक् संविदाएं हैं) भेज दिया जाना जाहिए ।

4. यू० के० संभरकों को भुगतान––साख-पत्र की प्रक्रिया

1. लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह यू० के० संभरकों के नाम में यू० के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र हेतु सहायता लेखा नियंत्रक (आर्थिक सहायता लेखा शाखा), अर्थकार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करे ।

2. प्राधिकरण-पत्र के लिए आवेदन अनुबन्ध 3 में दिए गए रूप में किया जाना चाहिए और उसके साथ फर्म आदेश की तथा यू० के० संभरक द्वारा पूर्ण किए गए संविदा प्रमाण-पत्र की एक प्रति होनी चाहिए। पत्र अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2 (बी) (जो भी उचित हो) में निर्धारित किए प्रपत्र में होना चाहिए।

3. यदि आवेदन-पत्र सही पाया जाता है तो वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग आयातक और संबद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत बैंक को अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा। वित्त मंत्रालय के प्राधिकरण आदेश में भी खरीद आदेश अर्थात् सी आई एल / ए/ 73 / 14 (जी/ओ/आई)–1(1) के परिचय प्रत्यय का उल्लेख होगा। परिचय प्रत्यय का स्थापित किए जाने वाले साख-पत्र में तथा साख-पत्र के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी प्रलेखों में भी संकेत होना चाहिए। वित्त मंत्रालय सम्बद्ध यू० के० बैंक को भी परामर्श देगा। लेकिन, यू० के० बैंक को दिया गया परामर्श सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को उनके प्राधिकरण की प्रति के साथ भेजा जाएगा। उन्हें साख पत्र खोलते समय यू० के० बैंक को संप्रेषित करना चाहिए।

4. प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर साख-पत्र खोल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण पत्र समाप्त हो जाएगा। साख-पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके अधीन लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खंड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतीकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। भुगतान के बाद प्रलेखों के प्रेषण करने से सम्बन्धित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए और इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू० के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को प्रारंभिक रूप में उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति भारत के उस बैंक से प्राप्त करेगा जिसमें साख-पत्र की स्थापना की गई थी। साख-पत्र खोलने के सम्बन्ध में भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेशों को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्ण रूपेण अनुरूप होना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिए।

5. साख-पत्र में स्पष्टरूप से ऋण शीर्षक नियतन संख्या और अन्य विवरण जैसे दिए गए नियतन के अन्तर्गत संविदा लाइसेंस की क्रम संख्या और साख-पत्र में तथा संकेतित आयात लाइसेंस आदि से सम्बन्धित संविदा की क्रम संख्या को चिह्नित किया जाना चाहिए।

5. प्रलेखन

1. यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० संभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करने समय यू० के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है':—

(1) चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक। (बीजक में आयातक का नाम और पता, संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण; सभी व्यापार छूटों) को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत; वितरण का आधार (लागत भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा) और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिसमें वितरण या नौवहन या परिवहन बीमा सेवायें शामिल हैं उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए)।

(2) महासागर या चार्टर लदान-पत्र की एक प्रति (या फोटोस्टेट) या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल रसीद (लदान पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो)।

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र की चार प्रतियां (ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में इनकी आवश्यकता नहीं जिनके लिए अनुबन्ध 2 (बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक) की पूर्ति की गई है। इस उद्देश्य के लिए, संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय भरने के लिए, निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख पत्र के साथ संलग्न करने चाहिएं।

(4) अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2 (बी) में निर्धारित संविदा प्रमाण-पत्र की तीन प्रतियां ।

प्रत्येक प्रलेख में ऋण शीर्षक, परिचय प्रत्यय, आयात लाइसेंस के ब्योरे तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख प्राधिकरण-पत्र के विवरण को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए।

2. जब साख-पत्र खोला जा रहा हो, तो भारत में प्राधिकृत विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक आयातक की ओर से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए प्रलेखन की उपर्युक्त जरूरतों को नोट कर लिया गया है तथा यू० के० संभरकों द्वारा इसका अनुपालन किया गया है, साख-पत्र में आवश्यक शर्तों को शामिल करने पर ध्यान देगा।

3. संभरक को भुगतान किए जाने के बाद यू० के० का सम्बन्धित बैंक भारतीय सम्बद्ध बैंक को प्रलेखों का मूल परक्राम्य सेट को वायुमार्ग से भेजेगा। भारतीय बैंक बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान को परेषण द्वारा यू०के० बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा। भारतीय बैंक द्वारा आयातकों से इस प्रकार की विदेशी मुद्रा परेषणों की तत्सम्बन्धी समतुल्य रुपये में वसूली दरों के बीच हुई सहमति से तय की गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी। यू०के० बैंक भी पूर्ण किए गए भुगतान प्रमाण-पत्र की एक अपर क्राम्य प्रति सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजेगा।

6. यू० के० ऋण के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्ति के लिए भारत सरकार को सक्षम बनाने में भारतीय बैंक की जिम्मेदारी

बैंक प्रभारों के साथ इसके द्वारा यू०के० संभरकों को स्टार्लिंग भुगतानों के यू० के० बैंक में प्रतिपूर्ति करने के बाद, भारतीय बैंक को चाहिए कि वह 10 दिनों के भीतर आवश्यक प्रलेखों को सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे ताकि भारत सरकार यू० के० ऋण के अन्तर्गत आवश्यक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सके। भेजे जाने वाले प्रलेख ये हैं:—

1. यू० के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2 (बी) (जैसा उचित हो) के रूप में **संविदा-प्रमाण-पत्र** तथा सम्बन्धित साख-पत्र की एक प्रति।

2. यू०के० संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अनुबन्ध 4 में दिए गए के अनुसार **भुगतान प्रमाण-पत्र** ।

3. खंड 5 में उल्लेख किए गए के अनुसार बीजक तथा लदान बिल । जहां संविदा के अन्तर्गत यू० के० संभरक को एक से अधिक भुगतान किया जाना है, संविदा प्रमाण-पत्र तथा साख-पत्र की एक प्रति भेजने की आवश्यकता केवल प्रथम भुगतान के लिए है तथा आगामी भुगतानों में केवल भुगतान प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता है और बीजकों की वित्त मंत्रालय को भेजने की आवश्यकता है, परिचय प्रत्यय को सम्बन्धित संविदा प्रमाण-पत्र तथा साख-पत्र में उद्धृत किया जाना चाहिए ।

7. आयात लाइसेंस के उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

अनुबन्ध 5 में यथा संलग्न अनुबन्ध में, लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थितियों को प्रदर्शित करते हुए एक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 7 तारीख को या इस से पहले इनको भेजनी चाहिए: (1) सहायता लेखा नियंत्रक, (सहायता लेखा शाखा), वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, (2) श्री श्रीनिवासन (अनुभाग अधिकारी, डब्ल्यू ई–2) वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, नार्थ ब्लाक सेक्रेटेरिएट, नई दिल्ली और (3) औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), पूंजीगत माल समिति अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

8. विविध

1. **विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक**.—आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्त हो जो कि संभरक पर सौदे के पालन करने में प्रभाव डाले, लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह संभरक को इनसे अवगत करादे ।

2. **यू० के० संभरकों से धन वापसी**.—यदि संभरक, पोत वणिक तथा बीमाकर्ता से लाइसेंसधारी द्वारा किसी प्रकार की धन वापसी प्राप्त होती है और जैसे ही ये धनराशि प्राप्त की जाती है, तो प्राप्त धनराशि का पूरा विवरण प्रदर्शित करते हुए तत्सम्बन्धी अन्य विवरणों के साथ ऊपर के खंड 6 में दिए गए पते पर वित्त मंत्रालय को भेजना चाहिए ।

3. **विवाद**.—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच या किसी प्रकार की जिम्मेदारी जो कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच हो, यदि उसमें किसी प्रकार का विवाद उठ खड़ा होता है तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

4. **भविष्य के लिए अनुदेश**.—आयात लाइसेंस या इससे सम्बन्धित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत—सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, आदेशों या अनुदेशों का तुरन्त पालन करेगा ।

5. **उल्लंघन या अतिक्रमण**.—उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

9. शीर्षकों के अनुसार अनुबन्धों की सूची :

अनुबन्ध 1	संविदा की अधिसूचना
अनुबन्ध 2	संविदा प्रमाण-पत्र

अनुबन्ध 2(बी)	संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक)।
अनुबन्ध 3	साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप।
अनुबन्ध 4	भुगतान प्रमाण-पत्र
अनुबन्ध 5	आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट।
अनुबन्ध 6	धन वापसी की प्राप्ति के सम्बन्ध में रिपोर्ट।

अनुबन्ध 1

यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973
संविदा की अधिसूचना

सेवा में

क्राउन एजेण्ट

संविदा की अधिसूचना संख्या .....

संविदा के निम्नलिखित ब्यौरे हैं जिस के अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा :—

1. यू० के० संविदा कर्ता का नाम तथा पता।
2. संविदा का दिनांक।
3. खरीदार का नाम।
4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा / अथवा कार्य अथवा सेवाएं।
5. संविदा का मूल्य।
6. भुगतान की शर्तें।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर ————

अनुबन्ध 2

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973
संविदा प्रमाण-पत्र परिचय प्रत्यय संख्या :

संविदा का ब्यौरा

भारतीय आयात लाइसस की संख्या ————————————————

1. संविदा की तिथि ————————2. संविदा संख्या ————————

3. खरीदार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण ————————

————————————————————————

यदि कोई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाण-पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए।

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत बीमा भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिए)।

पौंड———————————————————————————

यदि माल का सम्भरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खण्डों का अनुपालन करना अनिवार्य है (यदि संविदाकर्त्ता केवल निर्यातक, अभिकर्त्ता है, तो मांगी हुई सूचना निर्माणकर्त्ता से प्राप्त करनी चाहिए)।

5. जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है तो जहाज पर निःशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण में उपयोग किए गए संघटकों का प्रतिशत :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य — ;———————————————

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण ———————————

6. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे ताम्बा, अदह, कपास, लकड़ी लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू० के० में की गई है तो उनका उल्लेख करें :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निःशुल्क मूल्य ———————————————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण ———————————

यदि सेवाएं प्रदान की जानी है, तो निम्नलिखित खण्डों की भी पूर्ति की जानी चाहिए

7. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीदार के देश में निष्पादन सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं :—

(क) आप की फर्म (स्थल, अभियन्ता के खर्चे आदि)———————————

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता ———————————————————————

8. उपर्युक्त कण्डिका 5, 6 या 7 के सम्बन्ध में जैसा आवश्यक हो, टिप्पणी दें :———

9. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है। मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कण्डिका 5, 6, 7 और 8 में विशिष्टिकृत को छोड़ कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल की नहीं हैं, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है।

हस्ताक्षरित ———————————

पद जिस पर वह है ———————————

संविदाकर्त्ता का नाम और पता ———————————

———————————

दिनांक ———————————

टिप्पणी : इस घोषणा के लिए यू० के०, दि चैनल आइलैंड और आल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबन्ध 2 (बी)

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973

1. संविदा की तिथि ----------संविदा संख्या ---- आयात लाइसेंस सं० ------
दिनांक ----------

2. खरीदार को संभरण किए जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण	पौंड मूल्य	यू० के० दर सूची वर्गीकरण सं०	क्या उत्पाद यू० के० मूल्य का है
(टिप्पणी ए)		(टिप्पणी बी)	(टिप्पणी से देखिए, हां या नहीं लीखिए)

3. खरीदार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानित/संविदा कीमत/स्टर्लिंग–पौंड में

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और वध प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित ----------
पद किस पर है ----------

दिनांक ----------

संविदाकर्त्ता का नाम और पता

टिप्पणी

ए. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रासायन तथा सम्बन्धित उत्पादों के लिए किया जाना है जिनमें अधिकतर को यू० के० दर सूची के अध्याय 15, 25, 28–35 तथा 37–40 के उपर्युक्त उपशीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

बी. देखिए :

(1) एच० एम० कस्टम तथा एक्साईज टैरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) ब्रसल्स नामावली एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण ।

सी. (1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देशी माल से तैयार किया गया है तो वह उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपर्युक्त ई० एफ० टी० ए० विशेषक

विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशतः आयातित माल प्रयोग किया जाता है ।

(2) एच० एम० एस० ओ० निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि, ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह के सूचक 1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाता है कि निकासी प्रतिशत निकस लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां कहीं शब्द "क्षेत्र मूल" आते हैं उनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल से है ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए मूल माल को सूची' (ए० एफ० टी० ए० सार-संग्रह का सूचक –3) लागू नहीं होती है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूची बद्ध नहीं है तो काउन एजेन्ट, सी एस 4 विभाग 4 मिल एम डब्ल्यू । से सलाह ले लेनी चाहिए ।

जी. इस घोषणा के लिए यू० के० चेनल आइलैंड तथा आइलैंड्ज़ आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबन्ध 3

(साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र)

सेवा में

सहायता लेखा नियंत्रक,
(आर्थिक सहायता लेखा शाखा),
वित्त मंत्रालय ।
(अर्थकार्य विभाग)
जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

विषय : यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973 के अन्तर्गत यू० के० से

---------- का आयात ।

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० ऋण के लिए यू० के० से ---------- का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमें हमारे बकरों के माध्यम से आपके द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सकें :—

1. (क) आयात लाइसेंस का विवरण :—

संख्या तथा दिनांक मूल्य (रु० में) तिथि जब तक वह वैध है ।

(ख) लाइसस में दिए गए के अनुसार आवंटन संख्या ----------

(ग) लाइसस के अन्तर्गत की गई संविदाओं की संख्या ----------

(घ) उस संविदा की क्रम संख्या जिस से यह आवेदन पत्र संबन्धित है ।

2. लाइसेंस के स्टेर्लिंग में मूल्य
(प्रति पौंड 18.968 रु० की दर से परिकलित)

3. यू० के० संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (दिए गए आदेश और उसके लिए यू० के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरन की धन राशि । राशियां ।

4. उस भारतीय बैंक का नाम जो साख पत्र खोलेगा ।

5. सम्बद्ध यू० के० बैंक का नाम जिस में साख पत्र स्थापित किया जाना है ।

भवदीय ,

(लाइसेंस-धारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता)

अनुबन्ध 4

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1973

भुगतान प्रमाण-पत्र ———————— भारतीय आयात लाइसेंस सं० ————————
परिचय प्रत्यय संख्या ————————

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :—

1. नीचे सूचीबद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भगतान, वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण पत्र के साथ लगी है, बाकी है या नीचे लिखी गए संविदाकर्ता और ———————— खरीददार ———————————— के बीच संविदा संख्या ———————— तारीख ————————————के सम्बन्ध में बाकी पूरे किए जाने वाले हैं, और संविदा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत अधिमूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार है जो तारीख ————————————को उक्त संविदाकर्ता के नाम पर हस्ताक्षरित हैं ।

संविदा कर्ता के बीजक की संख्या	तारीख	धनराशि	पो०	माल कार्य और / या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कण्डिका 1 में जो धन-राशियां विशिष्टकृत की गई हैं, वे संविदा प्रमाण-पत्र की कण्डिका 5, 6 अथवा 7 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती है ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्त्ता के नाम पर इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है ।

हस्ताक्षर ——————————

पद जिस पर वह है ——————————

———— के लिए और के नाम पर

संविदाकर्त्ता का नाम और पता ——

——————————

तारीख——————————

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिए यू० के०, चैनल आफ आइल्स और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबन्ध 5

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1973 के सम्बन्ध में उपयोग किए जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र ।

(प्रत्येक आयात लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग से भेजा जाना है)

(जहां एक आयात लाइसेंस के मद्दे एक से अधिक संविदाएं हो तो प्रत्येक संविदा के लिए अलग अलग जानकारी भेजी जानी चाहिए)

परिचय प्रत्यय ——————————

(खण्ड—1 पैरा 2 देखें)

1. आयातक का नाम और पता ।

2. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और उसका मूल्य ।

3. उपर्युक्त आयात लाइसेंस के लिए किए गए आदेश का दिनांक और मूल्य ।

4. जहां आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं वहां शेष आदेश देने की अवस्था का संकेत करें ।

5. क्या लाइसेंस शर्तों में सम्बन्ध अनुबन्ध के अनुसार संविदा दस्तावेज सहायता लेखा नियंत्रक, अर्थकार्यविभाग वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को भेज दिए गए है / भेजे जा रहे हैं, इसका पुष्टीकरण । (कोट किए गए पत्र (पत्रों) की संख्या और दिनांक)

6. यू० के० संभरक (संभरकों) के हक में खोले गए साख पत्र (पत्रों) के मूल्य के साथ ब्योरे ।

7. भुगतान की अवस्था (पौंड तथा रु० में)

(ए) यू० के० संभरकों को किए गए वास्तविक भुगतान :

1. अप्रल 1972 से सितम्बर, 1973 तक
2. अक्तूबर 1973 से मार्च, 1974 तक
3.
4.

(और इसी तरह आगे)

(बी०) यू० के० संभरकों को किए जाने वाले भुगतानों का प्रावकलन :

1) अप्रल 1974 से सितम्बर, 1974 तक
2) अक्तूबर 1974 से मार्च, 1975 तक
3) अप्रैल 1975 से मार्च, 1976 तक
4) अक्तूबर 1975 से मार्च, 1976 तक

(और इसी तरह आगे)

8. आयात लाइसेंस में ऐसे भाग का संकेत करें जो आदेश में शामिल नहीं किया गया और उसे अभ्यर्पण कर दिया गया ।

हस्ताक्षर

अनुबन्ध 6

यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण 1973 के अन्तर्गत यू० के० से आयात के सम्बन्ध में संभरक/ पोतवणिक/ बीमाकर्त्ता द्वारा (अल्पावतरणक्षति इत्यादि के लिए दावे का निपटारा करने के लिए) प्राप्त धनवापसियों के विस्तृत ब्यौरे को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट ।

(पौंड स्टर्लिंग में केवल निपटाए गए दावों के लिए ———

(निपटाये गए दावों के लिए)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम ।
2. यू० के० साख के ब्यौरे ।
3. आयात लाइसस की सं० और दिनांक

4. आयात लाइसस का मूल्य ।

5. प्राप्त धनवापसी की राशि ।

6. धनराशि किस प्रकार की थी (संक्षिप्त ब्योरा दें)

7. संबद्ध दस्तावेज जिसके अन्तर्गत यू० के० संभरकों को प्रारम्भिक भुगतान किए गए थे उनका संदर्भ (वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रेषित करते हुए भारतीय बैंक की पत्र संख्या और दिनांक के संदर्भ का संकेत करें)

8. क्या प्राप्त की गई धनवापसियां माल के अदला-बदली के लिए प्रयोग की जानी है, या नहीं यदि नही तो पुष्टि करें कि राशि वास्तव में प्राप्त करली गई है और उसे रुपये में भुना लिया गया है ।

9. टिप्पनी :—

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर ।

एम० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973